अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं तथा पर्यावरण क्षेत्रों के अधीन उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन को निम्नानुसार 14 अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया है:

- अध्याय 1, प्राधिकार, लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र, लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा सीमा को स्पष्ट करने के साथ सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं तथा पर्यावरण क्षेत्रों के अधीन संघ के मंत्रालयों/विभागों के भी पिछले तीन वर्षों के व्यय, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण में विलंब, ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति सरकार का उत्तर तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।
- अध्याय 2 से 12 तथा 14 में सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों/निगमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं, जिसमें 2018-19 तक लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणाम से उत्पन्न 59 सिविल अनुदानें सम्मिलित हैं।
- अध्याय 13 में 2018-19 तक पांच अनुदानों को सम्मिलित करते हुए लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1.2 सीएजी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा अर्थात् वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा करता है। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के सेट पर लेखापरीक्षा राय की एक अभिव्यक्ति है जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करना चाहती है कि कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता के संबंध में कैसे कार्यान्वित किया गया था। लेखापरीक्षित इकाई के, भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों के अनुपालन की जांच करके तथा उन पर रिपोर्ट करके व्यय, प्राप्तियों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच को अनुपालन लेखापरीक्षा संदर्भित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों एवं अनुदेशों की उनकी वैधता, पर्याप्तता ,पारदर्शिता, औचित्य तथा व्यवहारकुशलता की जांच भी शामिल है।

सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षाएं की जाती हैं। ये मानक मानदण्डों को निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा करने में अनुपालन करना अपेक्षित है तथा उन्हें गैर अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन खामियों पर रिपोर्ट करना अपेक्षित है जो लेखापरीक्षित इकाईयों के वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वे कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां व प्रक्रियाएं तैयार करने में समर्थ बनाएगा जो संगठनों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जाएगा तथा बेहतर शासन में सहयोग देगा।

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त किया गया है। सीएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 13 तथा 17 के अधीन करता है। संसद द्वारा अथवा तैयार की गई विधि के अधीन स्थापित निकायों तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने वाले को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु लिया जाता

है। अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में सीएजी को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी), जो भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है।

1.4 योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अतिरिक्त जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाता है। जोखिम निर्धारण में इकाईयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, धोखा, दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के पिछले उदाहरणों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल हैं। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात इकाईयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालन सलाह, जहां कहीं आवश्यक, की कार्रवाई के साथ निपटान किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव से प्रत्युत्तरों की मांग के पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.5 संघ सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों का प्रालेख तथा लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार

2018-19 में 95[1] सिविल अनुदानों तथा 2017-18 में 96 सिविल अनुदानों को शामिल करके मार्च 2019 को सभी संघ मंत्रालयों/विभागों के सकल प्रावधान तथा व्यय **तालिका सं. 1** में दिए गए हैं:

[1] इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), दिल्ली तथा पुदुचेरी को अंतरण (2), वैज्ञानिक विभाग (9) तथा केन्द्रीय प्राप्तियां (3) शामिल हैं।

तालिका सं. 1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संवितरण की प्रकृति	2017-18			2018-19		
	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	652480	641217	(-) 11263	715647	695459	(-) 20188
राजस्व (दत्तमत)	1480913	1322124	(-) 158789	1627514	1384062	(-) 243452
पूंजीगत (प्रभारित)	5799508	5890670	(+) 91162	6215711	6088920	(-) 126791
पूंजीगत (दत्तमत)	353322	326541	(-) 26781	420572	358890	(-) 61682
कुल	**8286223**	**8180552**	**(-) 105671**	**8979444**	**8527331**	**(-) 452113**

**2017-18 में ₹105671 करोड़ की कुल बचत ₹196834 करोड़ की सकल बचत तथा ₹91162 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। 2018-19, में, कुल बचत ₹452113 करोड़ थी।*

2017-18 तथा 2018-19 में कर तथा गैरकर राजस्वों के विवरण **तालिका सं. 2** में दिए गए हैं:

तालिका सं. 2: कर तथा गैरकर राजस्वों के विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व		
	2017-18	**2018-19**
कर राजस्व	1246178	1319011
गैरकर राजस्व	441383	486388

इसमें विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

37 मंत्रालयों/विभागों (सिविल एवं वैज्ञानिक) द्वारा 2016-17 से 2018-19 के दौरान किया गया सकल व्यय को **तालिका सं. 3** में दर्शाया गया है तथा ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिये गये हैं।

तालिका सं. 3: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	राशि
2016-17	738280.02
2017-18	871296.68
2018-19	867163.77

1.6 संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा

भारत के संविधान की पहली अनुसूची के भाग-।। के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र[2] (यूटी) हैं जैसे अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी के सिवाए, इन यूटी में विधानमण्डल नहीं हैं।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत, यूटी के कानूनी मामलों, वित्त एवं बजट एवं सेवाओं के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए), नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक यूटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन कार्य करता है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में उप-राज्यपाल प्रशासक के रूप में पदनामित है जबकि पंजाब का राज्यपाल, चण्डीगढ़ का प्रशासक है। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के लिए भी प्रशासकों की पृथक रूप से नियुक्ति की जाती है। इन यूटी में प्रशासक के सलाहकार परिषद प्रशासकों को सलाह देता है। इन यूटी में गृह मंत्री की 'सलाहकार समितियां', यूटी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास से संबंधित सामान्य मुद्दों का समाधान करती है। द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप यूटी से संबंधित उच्च स्तरीय निर्णयों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है। संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में बजट प्रावधान एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संसद के अनुमोदनार्थ इन यूटी से संबंधित अनुदान मांग एवं विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) एमएचए, तैयार करता है। जबकि इन यूटी का सामान्य प्रशासन का उत्तरदायित्व एमएचए का है फिर भी संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग, जब तक वह इन क्षेत्रों के संबंध में मौजूद है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । तथा ।। में उल्लिखित विषय के तहत इन्हें निधि देते हैं। इस प्रकार, डीडीजी में इन मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित गतिविधियों पर, इन यूटी पर व्यय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के प्रस्ताव भी शामिल है। यूटी के प्रशासकों को योजनागत योजनाओं की संस्वीकृति हेतु एमएचए द्वारा एक निश्चित सीमा तक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

---

[2] अब आठ संघ शासित क्षेत्र हैं यानी अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जम्मू व कश्मीर (9 अगस्त 2019 से प्रभावी), लद्दाख (9 अगस्त 2019 से प्रभावी), लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी।

1.6.1 यूटी में प्रावधान तथा व्यय

वर्ष 2018-19 में पॉच यूटी में बजट आबंटन तथा व्यय के ब्यौरे **तालिका सं. 4** में दिए गए हैं:-

तालिका सं. 4: बजट आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल अनुदान/विनियोग		वास्तविक व्यय		बचत (प्रतिशत)			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व		पूंजीगत	
					राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4185.53	600.94	4180.53	473.37	5.00	0.12	127.57	21.23
चण्डीगढ़	4031.55	505.12	3946.12	483.95	85.43	2.12	21.17	4.19
दादरा एवं नगर हवेली	822.86	318.35	820.48	263.72	2.38	0.29	54.63	17.16
दमन एवं दीव	1364.09	323.45	1321.12	323.41	42.97	3.15	0.04	0.01
लक्षद्वीप	1130.64	266.71	1094.12	153.45	36.52	3.23	113.26	42.46
कुल	**11534.67**	**2014.57**	**11362.37**	**1697.89**	**172.30**	**1.49**	**316.68**	**15.72**

स्रोत: संघ सरकार-विनियोग लेखे (सिविल) 2018-19

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनामी पुनर्निर्माण परियोजनाओं में लंबित मध्यस्थता मामलों, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य की संस्वीकृति तथा निष्पादन में विलम्ब, कार निकोबार में निकर्षण कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत बचतें हुई।

चण्डीगढ़ में, पदों को न भरने, पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने तथा नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव न कराने के कारण बचतें हुई।

दमन एवं दीव में, राजस्व वर्ग के अंतर्गत बड़ी बचतें मुख्यत: रिक्त पदों के न भरने, किए गए कम दौरों तथा पिछले वर्ष के अव्यापित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

दादरा एवं नगर हवेली में, मुख्यत: कला केन्द्र फेस-II, आंगनवाड़ी केन्द्रों के भूमि अधिग्रहण, सिलवासा में सडकों के सौंदर्यीकरण तथा मजबूती हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण पूंजीगत वर्ग में बड़ी बचतें हुई।

लक्षद्वीप में, मुख्यत: विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, विलवणीकरण संयंत्रों के निर्माण में विलम्ब, जहाजों के अधिग्रहण हेतु अनुमोदन में विलम्ब के कारण पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत बचतें हुई।

1.7 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14, 19(2) तथा 20(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार किये जाते हैं। 2018-19 के दौरान इन एबी को कुल ₹52337.24 करोड़ के कुल अनुदान जारी किये गए जिसमें पिछले वर्ष की अव्ययित अनुदान शामिल है। विवरण **परिशिष्ट- II** में दिए गए हैं।

1.8 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 14 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2018 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹37182.21 करोड़ की राशि के कुल 92620 उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी), जो वित्तीय वर्ष, जिसमें अनुदान जारी किए गए थे, के 12 माह पश्चात लंबित थे जैसा ब्यौरा **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

उपयोग प्रमाण पत्रों की लम्बित अवधि को **तालिका सं. 5** में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 5: यूसी के लम्बित रहने की अवधि

(₹ करोड़ में)

अवधि	यूसी की सं.	राशि
मार्च 2012 तक	38586	12289.28
2012-17	40741	20759.63
2017-18	13293	4133.30
कुल	**92620**	**37182.21**

इतनी लम्बी अवधि के लिए उपयोग प्रमाण पत्रों को लम्बित रखना प्रमाणपत्रों के मुख्य उद्देश्य को विफल करती है। जीएफआर नियम का 238 में निर्धारित प्रक्रिया कि पूर्व अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति से पहले संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए, को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

पांच मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2019 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे **तालिका सं. 6** में दी गई है:

तालिका सं. 6: 31 मार्च 2019 तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2018 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	46050	9618.19
2.	जनजातिय कार्य मंत्रालय	459	1572.02
3.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2013	624.25
4.	संस्कृति मंत्रालय	4315	571.66
5.	परमाणु ऊर्जा	1897	211.33
कुल		**54734**	**12597.45**

1.9 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5$^{वीं}$ लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, तीन माह की अवधि के अंदर अपने लेखों को पूर्ण कर लेना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

ए) लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष 2017-18 के लिए 462 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जानी थी। इनमें से, 215 सीएबी के लेखे देय तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये थे, जैसा कि **चार्ट सं. 1** में दर्शाया गया है:

चार्ट सं. 1: लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

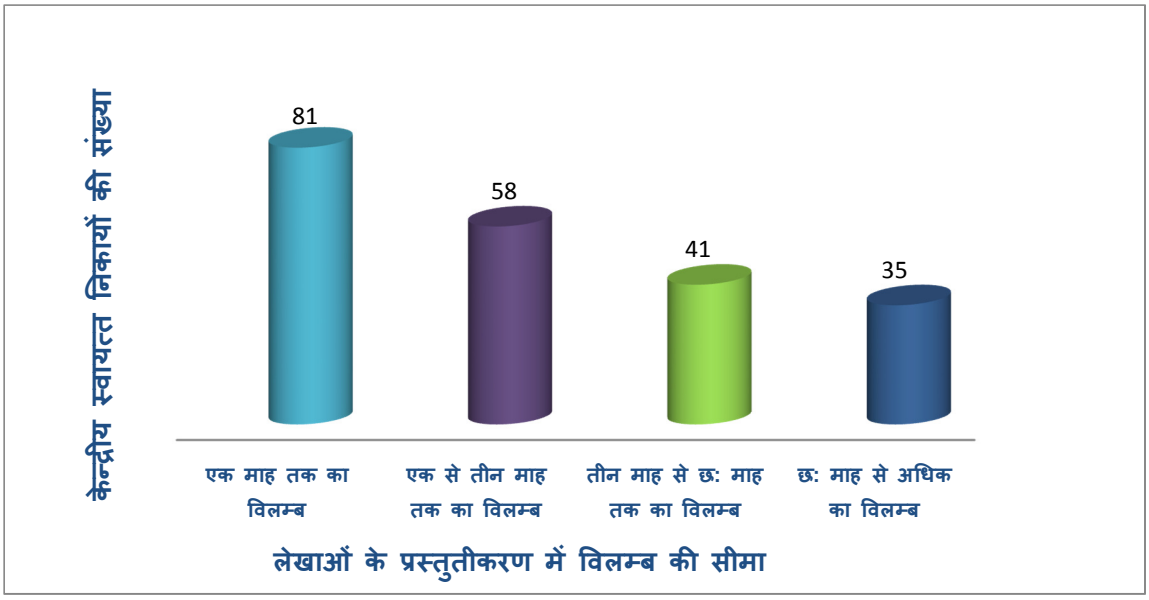

सीएबी, जिनके लेखे दिसम्बर 2018 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे, के विवरण **परिशिष्ट-IV** में दिये गये हैं।

बी) संसद को लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

30 सितम्बर 2020 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति नीचे **तालिका सं. 7** में दी गई है:

तालिका सं. 7: संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति की स्थिति

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद को प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2012-13	02	-
2013-14	01	-
2014-15	06	-
2015-16	07	-
2016-17	14	-
2017-18	37	33

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-V** तथा **परिशिष्ट-VI** में दिए गए हैं।

1.10 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित सीएबी का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2018-19 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण कमियां (ब्यौरे **परिशिष्ट-VII** में) निम्नानुसार हैं:

(ए) **151** सीएबी की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट-VIII)**;

(बी) **120** सीएबी की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-IX)**;

(सी) **111** सीएबी की वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-X)**;

(डी) **68** सीएबी प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों हेतु लेखांकन कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रपत्र के साथ संगतपूर्ण नहीं था **(परिशिष्ट-XI)**;

(ई) **161** सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया था **(परिशिष्ट-XII);**

(एफ) **आठ** सीएबी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्य-ह्रास प्रदान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-XIII);** तथा

(जी) **31** सीएबी ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया **(परिशिष्ट-XIV)**। संशोधन का प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं में ₹11.48 करोड़ तक की निवल कमी तथा अधिशेष में ₹13.06 करोड़ तक की निवल कमी तथा घाटे में ₹2.63 करोड़ तक की शुद्ध वृद्धि में हुआ।

1.11 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर उपचारी कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी सेल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

मार्च 2018 को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल), में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में सितम्बर 2020 तक की स्थिति को **चार्ट सं. 2** में प्रकट किया गया।

चार्ट सं. 2: एटीएन की संक्षिप्त स्थिति

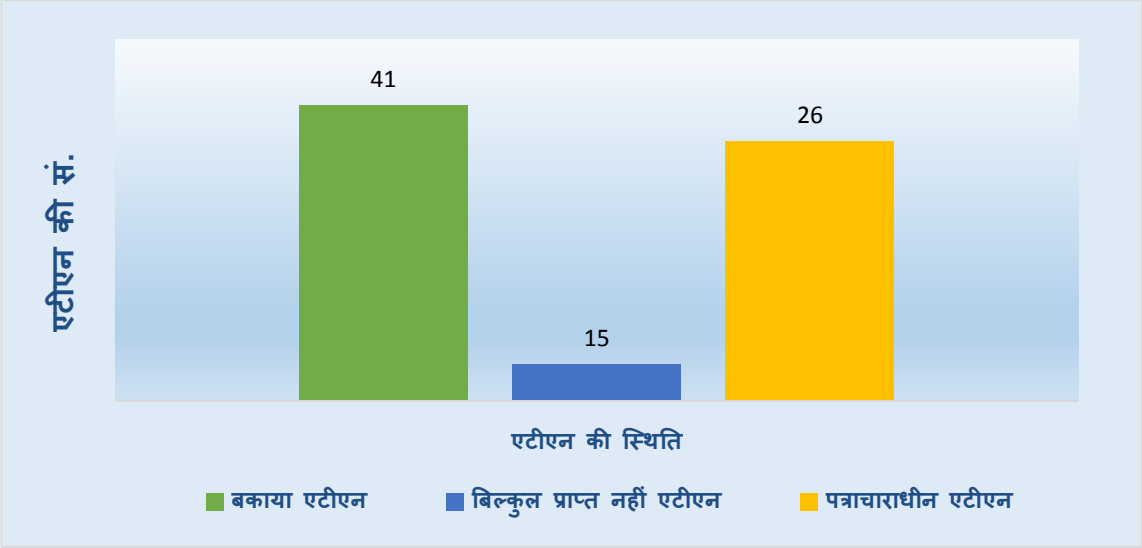

41 पैराग्राफों में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 15 पैराग्राफों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 26 विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे **परिशिष्ट-XV** में दर्शाये गये हैं।

संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 12 एटीएन लम्बित थे जैसा **परिशिष्ट- XVI** में दिया गया है।

1.12 आठ मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1996-97 से संबंधित 17वें प्रतिवेदन के पैरा 14 में पाया है कि "सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान लगभग एक आवर्ती रूप बन गये हैं तथा स्थिति को अभी भी सुधारा जाना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रभावी सुधारात्मक उपाय लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए है।" इस प्रकार, इस संबंध में पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सभी वित्तीय सलाहकारों से उन मामलों/योजनाओं, जिनमें बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान है, का एक पूर्ण अध्ययन करने तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिससे कि अनुदानों हेतु उनकी संबंधित मांगों में बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधानों की आवृत्ति से बचा जा सके।

2018-19 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित आठ मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें हुई जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक है जैसा **तालिका सं. 8** में ब्यौरा दिया गया है। बड़ी बचतें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की सूचक है। ऐसी बचतों ने न केवल खराब बजट को दर्शाया बल्कि यह करों आदि के माध्यम से संसाधनों का अनावश्यक प्रावधान करने को भी सूचित करती है तथा अर्थव्यवस्था के अन्य योग्य क्षेत्रों को संसाधनों से वंचित करती है।

तालिका सं. 8: ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय	योजना	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	(-) बचतें	प्रतिशतता में बचतें
1.	कृषि	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	4,000.00	2,918.38	-1,081.62	27.04
2.	मानव संसाधन विकास	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	4,213.00	3,399.40	-813.60	19.31
3.	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9,975.00	8,418.47	-1,556.53	15.60
		प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19,000.00	15,417.55	-3,582.45	18.86
4.	पेय जल एवं स्वच्छता	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन	7,000.00	5,484.34	-1,515.66	21.65
		स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	15,343.10	12,931.96	-2,411.14	15.71
5.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	3,071.00	2,502.89	-568.11	18.50
6.	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण	राष्ट्रीय गंगा योजना तथा घाट निर्माण कार्य	2,300.00	687.5	-1,612.50	70.11

स्रोतः वर्ष 2018-19 हेतु बजट एक नजर में, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

1.13 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निदेश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनसे निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजें।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने **अध्याय-II से XIV** में प्रस्तुत 38 पैराग्राफों (दिसम्बर 2020 तक) में से 13 के उत्तर प्रेषित नहीं किए थे। 25 पैराग्राफ के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

कुल ₹89.30 करोड़ की राशि की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूली की गई है, जिसका **तालिका सं. 9** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 9: वसूली के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	वसूली गई राशि
1	मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा मंत्रालय) मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपने किरायेदार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से जनवरी 2010 से दिसंबर 2016 तक बिजली एवं जल प्रभारों, सामान्य रखरखाव प्रभारों, सम्पत्ति कर तथा अन्य उद्ग्रहणों के कारण ₹2.01 करोड़ की वसूली की।	2.01
2	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	पीएसयू/सांविधिक निगमों के मामले में वसूली गई राशि।	79.91
3	परमाणु ऊर्जा विभाग	**परिशिष्ट-XVII**	0.57
4	विदेश मंत्रालय	**ईओआई वाशिंगटन** द्वारा निर्धारित नियमावली तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफलता गैर हकदार श्रेणी/गैर अनुमोदित मार्ग से हवाई किराए के भुगतान का कारण बनी। मिशन ने लेखापरीक्षा दृष्टांत पर ₹4.52 लाख (₹0.05 करोड़) की वसूली की है।	0.05
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना में एआईआईएमएस, नई दिल्ली ने मैसर्स टाटा कंस्ल्टेंसी सर्विसेज लि. को भुगतान किए गए ₹6.76 करोड़ जीएसटी की वसूली की है।	6.76
		कुल	**89.30**